

**श्री एस०एम० विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा
दिनांक 26.02.2016 को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी०पी०डी०पी०) के सन्दर्भ में
आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त
स्थल— एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।**

दिनांक 26.02.2016 को प्रदेश के 75 जिलों से ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना भवन में आयोजित की गई।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी०सी०) की अध्यक्षता श्री एस०एम० विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली तथा संचालन श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर वी०सी० में श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, श्री एस०एन० सिंह, उपनिदेशक(प०)/नोडल आफिसर, आर०जी०पी०एस०ए०, श्री सुमित त्रिपाठी, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, श्री आनन्द श्रीवास्तव एन०आई०सी०, श्री प्रशांत मिश्रा, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आर०जी०पी०एस०ए०, श्री रितेश शर्मा, राज्य लेखा विशेषज्ञ, आर०जी०पी०एस०ए०, सुश्री सुनीता सिंह, स्टेट कंसलटेन्ट, आर०जी०पी०एस०ए०, डा० प्रीती सिंह, स्टेट कंसलटेन्ट, आर०जी०पी०एस०ए०, श्री अभिषेक श्रीवास्तव, तकनीकी विशेषज्ञ, आर०जी०पी०एस०ए० भी उपस्थित रहे।

वी०सी० अवधि में 75 जनपदों के 25 जिलाधिकारी, 38 मुख्य विकास अधिकारी, 8 के साथ उपनिदेशक(प०), जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबन्धक भी उपस्थित रहे जिनसे 03 समूहों में यथा पूर्वाह्न 11:00—12:30, अपराह्न 01:00—2:30 एवं सांय 04:00—05:30 पर जी०पी०डी०पी० पर उन्मुखीकरण के पश्चात् क्रियान्वयन पर प्रगति समीक्षा की गई।

वी०सी० की अवधि में श्री एस०एम० विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं को ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण का मजबूत स्तम्भ बताते हुए जनपदों का उन्मुखीकरण किया गया:—

- जी०पी०डी०पी० एक स्कीम नहीं है अपितु ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के विकास हेतु बनाई गई एक 'योजना की व्यवस्था' है जिसमें गाँव के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि यह एक जन समुदाय की योजना है।
- यह योजना एक कन्वर्जेंस योजना है जो फंड के मिक्सिंग पर आधारित नहीं हैं, बल्कि इसमें ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ग्राम पंचायत/समुदाय की जरूरतों/आवश्यकताओं का मिलान होना आवश्यक है। योजना प्रधान oriented नहीं अपितु पंचायत oriented हो।
- मनरेगा (MGNREGA) एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम का समेकन ग्राम पंचायत विकास योजना में आवश्यक रूप से किया जाये जिसमें प्रारम्भिक रूप से मात्र मनरेगा एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम में लिए कार्यों का अंकन योजना में कर लिया जाए, जबकि वित्तीय समेकन, मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने एवं अगले चरणों में किया जा सकता है।
- उ०प्र० के सहयोगात्मक ढांचे में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की शत-प्रतिशत उपलब्धता होनी अति आवश्यक है जिसकी पूर्ति मनरेगा अथवा राज्य द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से की जा सकती है।

- 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग जल/स्वच्छता/टोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए भी किया जा सकता है।
- अनुश्रवण हेतु ग्राम पंचायतों, स्वयं के स्तर से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण, वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं पूर्ण कराए गए कार्यों का विवरण बोर्ड अथवा दीवार पर पेंट करवा कर जन-सामान्य के लिए उपलब्ध करा सकती है।
- पंचायतों द्वारा निर्मित योजना का निर्माण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय विशिष्ट मुद्दों यथा शिक्षा, (जनपद श्रावस्ती द्वारा प्रस्तुत सुझाव), स्वास्थ्य (जनपद गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत सुझाव) को केन्द्रित कर योजना का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना मात्र लागत एवं फंड को ध्यान में रखने के अतिरिक्त गाँव को बेहतर सुविधाओं की पहुँचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी बनाई जा सकती है। जिसमें एस0एच0जी0 एवं शिक्षकों की अहम भूमिका हो सकती है।
- प्रत्येक जनपद कम से कम एक या दो ग्राम पंचायतों को बीकन पंचायत (मॉडल पंचायतों) के रूप से विकसित करें जिसमें जनपदों में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया गया हो जो अन्य ग्राम पंचायतों/जनपदों/राज्यों के लिए अनुकरणीय (रोल मॉडल) बन सके।

प्रगति समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि समस्त जनपदों द्वारा जनपद में बेसिक संरचनात्मक ढांचे एवं जनपद स्तर पर वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियों को सम्पादित कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से विचार विमर्श के पश्चात् निम्न बिन्दु/तथ्य प्रकाश में आए—

1) जनपद स्तर पर प्रशिक्षण/अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रति जनपद 04 मास्टर ट्रेनरों प्रशिक्षण के उपरान्त तैयार कुल 275 मास्टरों की उपलब्धता को अपर्याप्त मनाते हुए, (जनपदों के बड़े कार्यक्षेत्र एवं योजना तैयार किये जाने में समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए) जनपदों द्वारा माँग की गयी कि जनपद में मास्टर ट्रेनरों की संख्या बढ़ाई जाये। जिसके क्रम में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि विभाग प्रति विकास खण्डवार (821 वि0ख0) एक मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करे एवं शीघ्र ही पुनः जनपदों से नामित संदर्भ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराया जाये।

2) जनपदों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में प्रति क्लस्टर 10-12 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में संशोधन के प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 में न्याय पंचायतों की व्यवस्था पूर्व से

ही लागू है अतः क्लस्टर स्तर पर न्याय पंचायत को ही क्लस्टर मानते हुए उसपर विकास खण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को चार्ज आफिसर नियुक्त कर लिया जाये।

3) जनपद द्वारा ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित कराये जा रहे एसेट/ढांचागत सुविधाओं (यथा— पंचायत भवन, सड़क, खड्गजा, रूरल हॉट, अंत्येष्टि स्थल आदि) के स्टैण्डर्ड/मॉडल एस्टीमेट एवं डिजाइन की माँग को भी शीघ्र ही जनपदों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4) योजना बनाने में विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) की भूमिका एवं उत्तर दायित्वों को भी स्पष्ट अंकित करने की माँग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आई जिस पर स्पष्ट निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये।

5) 14वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश में जनपदों/विकास खण्डों को उपलब्ध कराए जा रहे मानव संसाधनों की गुणवत्ता को जाँच कर ही जनपदों को उपलब्ध कराए जाने की माँग बैठक में सामने आई।

- 6) जनपदों द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत क्रियान्वित सी0एल0टी0एस0 घटक के विषय में तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं/रिसोर्स व्यक्तियों की आवश्यकता को सामने लाया गया, जिस पर उन्हें अवगत कराया गया कि वर्ड बैंक से इस सम्बन्ध में वार्ता की जा चुकी है।
- 7) नवसृजित जनपदों यथा कौशाम्बी, सम्भल, शामली एवं हापुड़ में अधिष्ठान एवं पद सृजन सम्बन्धी समस्याओं का भी चिन्हीकरण हुआ जिसको उचित रूप से सम्बोधित करने का आदेश दिया गया।
- 8) जनपदों द्वारा सामने आये मुद्दों में ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति की सीमा 2001 से लागू है जिसको संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई एवं यथानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए।
- 9) ग्राम पंचायत के समान्य निर्वाचन के पश्चात् नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का मुद्दा भी चर्चा की अवधि में सामने प्रस्तुत हुआ जिसका अतिशीघ्र निस्तारण कर रणनीति बनाकर कार्य करने के आदेश दिये गये।
- 10) वर्तमान स्थिति के अनुसार योजना में लिए गये कार्यों के तकनीकी अनुमोदन में सम्मिलित आर0डी0एस0 एवं एम0आई0 के ए0ई/जे0ई0 की सेवाएं ली जा सकती हैं एवं उनके यात्रा-भत्ते का भुगतान योजना से किये जाने की मांग जनपदों द्वारा प्रस्तुत की गई।

समस्त जनपदों द्वारा यह आशान्वित किया गया कि मार्च में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अप्रैल तक ग्राम पंचायतों की योजनाएं तैयार कर ली जाएंगी। इस प्रकार समस्त जनपदों से प्राप्त सुझावों पर शीघ्र ही रणनीति बनाकर कार्य किये जाने का आदेश देते हुए प्रमुख सचिव महोदय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग समाप्त की गई।

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3
संख्या-6 86 / 33-3-2016-59 / 2016
लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री एस0 एम0 विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजि सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,


(महेंद्र कुमार)
विशेष सचिव।

30/12/2013 11:09 111111111



सत्यमेव जयते

जितेन्द्र शंकर माथुर, आई.एस.

JITENDRA SHANKAR MATHUR, IAS

PS

3461/1588/16

VS(m)/503

निदेशक

पं. प्लान तैयार करे तथा
- प्रमाणित कराना

11.5.16 Dear Shri Tewari,

(चंचल कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव

पंचायती राज विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

As you are already aware, in order to implement the recommendations of the Fourteenth Finance Commission (FFC) towards providing financial stability and ensuring effective planning across the Panchayats, the Ministry in consultation with the States has modified the existing PlanPlus software Application. The updated Application (PlanPlus v2.0) which enables preparation of participatory Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) was made available to the PRIs on March 31, 2016.

2. It may be noted that the FFC guidelines stipulate that "All expenditure incurred by Panchayats and Municipalities on basic services within the functions devolved to them under the State laws may be incurred after proper plans prepared by Panchayats and Municipalities." Hence, preparation of GPDP is mandatory for utilisation of FFC grants. Further, the updated PlanPlus Application (PlanPlus v2.0) would also track and monitor the release of FFC funds from the State to the Panchayats.

3. While the (PlanPlus v2.0) Application was available almost two months ago, its usage by the PRIs has been slow till date, only a few of the States have completed training(s) on PlanPlus v2.0 Application for their State/District level Master Trainers, while the trainings have been scheduled for a few other States. Furthermore, even in the States where the training has been completed, only a handful of Gram Panchayats have started using the Application. One of the reasons for slow progress could be that the end users at the grassroots level are yet to be trained on the Application.

4. You are requested to draw up a time bound action plan for preparation of GPDPs and for training of the Master Trainers and/or the end users to initiate the data entry work in the Application so that all the GPDPs are ready in the first quarter of the financial year for execution of activities.

With regards,

निदेशक (पंचायती राज)

Yours sincerely,

(Jitendra Shankar Mathur)

Shri Chanchal Kumar Tewari
Principal Secretary
Panchayati Raj Department
Govt. of Uttar Pradesh
Lucknow-226001

निदेशक
11/5/16